न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
99/2022	08.06.2022	16.06.2022

अनवान

1. गोपि पुत्र उदा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. झूमा देवी पत्नि भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भगवानीदेवी पत्नि नंदलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशन पिता भैरू जाति बैरवा फौत के बजाय– नाथू पिता स्व. किशन बैरवा आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. धापु पत्नि नारायण बैरवा आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. नंदा पिता भैरू बैरवा आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. प्रभुलाल पिता नारायण बैरवा आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मोहन लाल पिता नारायण बैरवा आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. शंकर पिता भैरू बैरवा आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. उदा पिता परसा चमार फोत के बजाय– काशी पिता स्व. उदा चमार आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. संतोष पत्नि नानालाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. कैलाश पिता भुरालाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. नंदुबाई पत्नि उदयराम भील आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. मांगीलाल पिता हजारी अहीर आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. मोहन पिता गंगाराम अहीर आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. शंकर पिता उदयराम अहीर आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. रामचन्द्र पिता गंगाराम अहीर आयु वयस्क निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार — प्रार्थीगण

एक तरफा — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बनाकिया कलां पटवार हल्का बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 545 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1714 कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 है0, खाता संख्या 115 की आराजी संख्या 1716, 1725, 1727 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 है0, खाता संख्या 546 की आराजी संख्या 1732, 3672/1732 कुल किता 02 कुल रकबा 0.75 है0, खाता संख्या 544 की आराजी संख्या 1715 कुल किता 01 कुल रकबा 0.29 है0, खाता संख्या 543 की आराजी संख्या 1722, 1728, 1729 कुल किता 03 कुल रकबा 0.10 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 16.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी[illegible] आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर [illegible] की [illegible] कर सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपरोक्त विवेच[illegible] प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–र[illegible]स्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा बनाकिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested

कलां पटवार हल्का बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 545 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1714 कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 है0, खाता संख्या 115 की आराजी संख्या 1716, 1725, 1727 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 है0, खाता संख्या 546 की आराजी संख्या 1732, 3672/1732 कुल किता 02 कुल रकबा 0.75 है0, खाता संख्या 544 की आराजी संख्या 1715 कुल किता 01 कुल रकबा 0.29 है0, खाता संख्या 543 की आराजी संख्या 1722, 1728, 1729 कुल किता 03 कुल रकबा 0.10 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 16.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested